In the Court of D.A.S.J.- I[st], Naugachia

S.T.-1103(B)/2006
CIS No.- 211103/2006

06.06.2026 प्रस्तुत वाद के एक मात्र अभियुक्त पुरूषोत्तम सिंह को फरार घोषित किया जा चुका है। अभियोजन की हाजरी है। साक्षी अनुपस्थित है।

अभियोजन की ओर से अनुरोध किया गया कि अभियुक्त अनुपस्थित है। अभियुक्त को फरार घोषित किया जा चुका है। साक्षी उपस्थित नहीं हो रहे है। भविष्य में जब अभियुक्त उपस्थित होते हैं या उन्हे गिरफ्तार कर न्यायालय में उपस्थापित किया जाता है, तब साक्षी प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। परन्तु साक्षी उपस्थित नहीं हो रहे है। ऐसी स्थिति में अभियोजन का अनुरोध स्वीकृत करते हुए साक्ष्य अन्तर्गत धारा–299 द0 प्र0 स0 बंद किया जाय।

सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त पुरूषोत्तम सिंह को दिनांक 02.06.2026 को ही प्रस्तुत वाद में फरार घोषित किया जा चुका है। अन्तर्गत धारा– 299 द0 प्र0 स0 अभियोजन को साक्षी प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। परन्तु साक्षी उपस्थित नहीं हो रहे है। ऐसी स्थिति में अभियोजन का अनुरोध स्वीकृत करते हुए साक्ष्य अन्तर्गत धारा – 299 द0 प्र0 स0 बंद किया जाता है।

कार्यालय उपरोक्त फरार एक मात्र अभियुक्त के विरूद्ध स्थायी अधिपत्र निर्गत करें एवे अभिलेख को अभिलेखागार में इस निर्देश के साथ जमा करें कि न्यायालय की अनुमति के बगैर अभिलेख को विनष्ट न किया जाय।

D.A.S.J.- I[st]
Naugachia
06-06-2026